

ज्ञापांक:-...../

मुजफ्फरपुर, दिनांक:...../

कार्यालय आदेश

श्री बलभद्र कुमार लिपिक एवं श्री मिथिलेश कुमार निराला, लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 को आदेश दिया गया था कि कमशः तृतीय एवं चतुर्थवर्ग कर्मियों सेवापुस्त अध्ययतन करते हुए एच.आर.एम.एस. पोर्टल पर सेवापुस्त त्वरितगति से अपलोड करें, परन्तु अब तक एक भी सेवापुस्त ऑन लाईन अपलोड नहीं हुआ है, जो आदेश अवहेलना का घोटक है । ज्ञातव्य हो कि अगले वित्तीय वर्ष एच.आर.एम.एस. पर डाटा अपलोड नहीं होने के वजह से वेतनादि की निकासी नहीं हो पायेगा ।

अतः उक्त दोनों कर्मियों का आदेश अवहेलना के आलोक में तत्काल प्रभाव से वेतनादि अवरुद्ध किया जाता है साथ निर्देश दिया जाता है कि जब तक सेवापुस्त पूर्ण रूप से ऑन लाईन अपलोड नहीं हो जाता है वेतनादि की निकासी अवरुद्ध रहेगा एवं उक्त कार्य के संबंध में दैनिक प्रतिवेदन देंगे ।

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक:- 332/21...../

मुजफ्फरपुर, दिनांक: 23/02/21...../

प्रतिलिपि :- श्री बलभद्र कुमार, लिपिक/श्री मिथिलेश कुमार निराला, लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- बरसर/लेखापाल, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- श्री कुन्दन कुमार एवं श्री कौस्तुभ मणि डाटा इन्ट्री ऑपरेटर वाह्य सेवा , प्राचार्य का कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए कहना है कि एच.आर.एम.एस. से संबंधित डाटा स्कैन एवं अपलोड करेंगे उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम करेंगे ।



प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।